

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक F26(4)()/ECCE/ICDS/2015/
उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

129025-57

जयपुर, दिनांक :
30-9-16

विषय:—चयनित आदर्श ईसीई (ECE) सेक्टरों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रारम्भिक बाल्यवस्था शिक्षा (Early Childhood Education) हेतु प्रत्यक्ष प्रशिक्षण (Hands-on-Training) के संबंध में दिशा-निर्देश।

प्रसंग:— विभाग का समसंख्यक पत्रांक 123092-123124 दि. 20.09.2016

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि आपके जिले की परियोजनाओं के चयनित आदर्श ईसीई सेक्टरों में "आंगनबाड़ी पाठशाला" पायलेट प्रोजेक्ट के तहत प्रारम्भिक बाल्यवस्था शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पॉवर पाइन्ट (PPT) के माध्यम से, दो दिवसीय प्रशिक्षण, दिया जाना है। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य के समस्त जिलों में 22-30 सितम्बर, 2016 के मध्य आयोजित किए जाने हेतु लिखा गया था।

उक्त प्रशिक्षण के संबंध में पायलेट प्रशिक्षण के वॉटसअप ग्रुप के अन्तर्गत कई सदस्यों द्वारा फील्ड से यह मांग प्रस्तुत की गयी है कि उक्त प्रशिक्षण के अन्तर्गत आवंटित बजट राशि के अन्तर्गत होने वाली बचत का अन्य मदों में (जैसे प्रोजेक्टर, स्थान व्यवस्था आदि) कर लिया जाये।

अतः इस संबंध में उक्त प्रशिक्षण के अन्तर्गत आवंटित बजट राशि के अन्तर्गत होने वाली बचत का अन्य मदों में (जैसे प्रोजेक्टर, स्थान व्यवस्था आदि) बचत राशि के उपयोग की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक F26(4)()/ECCE/ICDS/2015/

129058-364

जयपुर, दिनांक :
30-9-16

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. निजी सचिव, निदेशक, आईसीडीएस
2. निजी सचिव, प्रभारी अधिकारी (ईसीसीई), आईसीडीएस
3. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी,

(बिन्दु करुणाकर)
अतिरिक्त निदेशक (आई)/
प्रभारी अधिकारी (ईसीसीई)